राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1256/2015/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस. वी. एसोसियेट्स,
5, मनी कुटीर, तुलसीदास मार्ग, ब्रह्मपुरी रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन. के. बैद, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विनय कुमार गोयल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/11/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 449/अपील्स–तृतीय/13–14/एफ में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा ठेकेदार के रूप में प्राप्त की गई कार्य संविदा (work contract) के लिये अधिसूचना F.12(63)2005–8 दिनांक 11.8.2006 के तहत मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया था जिसमें मुख्य कार्य construction of boundrywall दर्शाई जाकर अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 एवं दिनांक 26.3.2012 के तहत 1 प्रतिशत की शुल्क राशि का प्रमाण–पत्र जारी करने का आवेदन किया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की शुल्क दर से प्रमाणपत्र जारी किया गया जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया कि कार्यसंविदा में किए जाने वाले कार्य को प्रकृति की जांच कर पुनः शुल्क का निर्धारण करें। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश को राजस्व द्वारा इस अपील में चुनोती दी गई है।

3. राजस्व एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई

लगातार.....2

4. राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कार्य संविदा केवल बाउण्ड्रीवॉल की होने के गलत तथ्यों को पेश करने के आवेदन को भी गलत बताया एवं अपीलीय आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश अनुसार जांच कराने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.10.2013 के अवलोकन पर पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बाउन्ड्रीवाल का कार्य कम बताते हुए इसे तीन प्रतिशत से फीस योग्य माना गया एवं आवेदित फीस दर को बढ़ाया है क्योंकि work order में कैटल शैड मय बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य करने का work order दिया गया था।

8. रिकॉर्ड के अवलोकन पर पाया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में तथ्यों का परीक्षण किए बिना, प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है वह उचित नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध work order की प्रति का परीक्षण स्वयं द्वारा किए बिना ही इसे boundrywall का कार्य मानने या नहीं मानने का निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने यह उल्लेख किया था कि बाउन्ड्रीवाल का काम बहुत कम है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक था परन्तु बिना परीक्षण के ही प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया है।

9. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध E.C. आवेदन पत्र WT-I का अवलोकन किया गया, उसमें Description of contract में प्रार्थी ने work order को construction of boundrywall मात्र लिखा है जो पूर्णतया सत्य नहीं है क्योंकि municipal of jaipur के work order दिनांक 30.5.2013 में स्पष्ट रूप से कार्य की प्रकृति में boundrywall and cattle shade के निर्माण कार्य का ठेका बताया गया है जो गौ–पुनर्वास केन्द्र, हिंगोनिया, में गायों के लिए cattle shade के निर्माण का कार्य था जिसमें boundrywall बनाने का कार्य सम्मिलित था। इस तरह व्यवहारी ने जानबूझकर ई.सी. हेतु आवेदन में cattle shade and boundrywall लिखने के स्थान पर केवल boundrywall लिखते हुए 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा व्यवहारी को प्राप्त work order के परीक्षण पर पाया कि शेड बनाने हेतु नींव

लगातार.....3

कार्य से लगाकर शैड बनाने तक समस्त कार्यों का स्पष्ट विवरण दिया हुआ है जिसमें नींव की खुदाई से लगाकर शैड बनाने हेतु structural, steel work, paint work, cement corrugated sheet आदि का उपयोग एवं एक concrete block pavement आदि कार्य का विवरण दिया है जो स्पष्ट करता है कि कार्य संविदा एक कैटल शैड के निर्माण के लिये दी थी जिसके चारों ओर boundrywall भी बनाई जानी थी। इस तरह असत्य एवं अधूरे तथ्यों से किये गए आवेदन पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा work order के परीक्षण के पश्चात कर दर सम्बन्धी निर्णय किया गया है कि दिनांक 11.08.2006 एवं 18.7.2012 की अधिसूचना की क्रम संख्या 3 अनुसार ही शुल्क दर लागू योग्य है। अधिसूचना दिनांक 18.7.2012 निम्नानुसार है :—

No.F.12(9)FD/Tax/2012-38 **Jaipur, July 18, 2012**

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification No. F.12(63)FD/Tax/2005-80, dated 11.08.2006 (as amended from time to time), with immediate effect, namely :-

LIST

Item No.	Description of Works Contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25
2.	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Works contract related to setting up of new enterprise or expansion of existing enterprise manufacturing fertilizer within the State with minimum investment of Rs. 2500 crore, Works contract relating to Construction of roads, runways, bridges, dams, drains, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, subways, spillways, **boundary walls** and water harvesting structures.	1.00
3.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 and 2.	3.00

लगातार.....4

10. उक्त अधिसूचना एवं प्रकरण के तथ्यात्मक परीक्षण में पाया कि work order में शेड के निर्माण कार्य मय बाउण्ड्रीवॉल अंकित है, तब उक्त अधिसूचना अनुसार यह कार्य केवल अधिसूचना की क्रम संख्या 2 में प्रदर्शित कार्य केवल बाउण्ड्रीवॉल का न होकर क्रम संख्या 3 अनुसार Any other kind of contract से आच्छादित होने से तीन प्रतिशत से ही शुल्क योग्य है। यदि कोई संविदा कार्य केवल बाउण्ड्रीवॉल बनाने का हो, तभी उसमें एक प्रतिशत की कर दर प्रभावी होगी, जबकि उक्त कार्य संविदा एक आयरन स्टील एवं कोरूगेटेड शीट से पूर्णकालिक शेड बनाने की है जिसके चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल भी बनाई जानी थी। ऐसी स्थिति में इस कार्य के लिये क्रम संख्या 3 Any other kind of work contract में ही सम्मिलित योग्य है न कि केवल बाउण्ड्रीवॉल का कार्य है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना अनुसार 3 प्रतिशत दर से जारी Exemption Certificate की पुष्टि की जाती है एवं अपीलीय आदेश आदेश अपास्त किया जाता है।

11. इस प्रकरण में यह टिप्पणी करना उचित है कि उक्त पूर्ण तथ्यात्मक विवेचना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। उसके पश्चात् अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण में परीक्षण करने का श्रम नहीं किया है। इस तरह अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश Non speaking order (अपूर्ण एवं अविवेचित) होने के कारण litigation उत्पन्न होता है।

12. उक्त टिप्पणी के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क लेने का आदेश विधिसम्मत घोषित किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य